राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांकःएफ. 20(31) ग्रावि/नरेगा/कय पालिसी/2011

दिनांक 26 APR 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 की सामग्री कय की निविदा को अंतिम रूप देने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आदेश दिनांक 2.10.2010 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये सभी ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माण सामग्री की निविदा आमंत्रित की जानी थी । आज दिनांक 8.4.2011 की विडियों कान्फ्रेसिंग के दौरान सभी जिला कलेक्टर्स से प्राप्त फीड बेक के अनुसार अभी तक मात्र 20–25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ही निर्माण सामग्री की निविदाएं ही अंतिम रूप से निर्णित हो पाई है। निविदा कार्यवाही पूर्ण नहीं होने की वजह से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है । जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा निविदा कार्यवाही पूर्ण करने में निम्न समस्यायें अवगत करवाई गई है:–

1. कुछ ग्राम पंचायतों में एक भी निविदा प्राप्त नहीं हुई है तथा कुछ ग्राम पंचायतों में कुछ ही आईटम्स की निविदाएं प्राप्त हुई है।
2. कुछ जिलों में वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तिम महिनों में ही विभागीय आदेश दिनांक 2.10.2010 के क्रम में निविदा आमंत्रित करके निर्णित की गई है ।

प्रकरण के संबंध में जिलों से विस्तृत चर्चा हुई। जिलों में वित्तीय वर्ष 2011–12 की निविदां में कार्यवाही पूर्ण नहीं होने की वजह से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र तथा अन्य निर्माण कार्य प्रभावित नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुये निम्न निर्देश जारी किये जाते है:–

1. जिन ग्राम पंचायतों में निविदा आमंत्रण के बाद भी निविदा प्राप्त नही हुई है लेकिन उस पंचायत समिति की अन्य ग्राम पंचायतों/समीप की पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में निविदा कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जा चुका है उन प्रकरणों में संबधित ग्राम पंचायतों को अपने समीप की ग्राम पंचायतों/समीप की पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में से न्यूनतम दर पर आगामी निविदा होने तक सामग्री कय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस कार्यवाही का निर्धारण पंचायत समिति के विकास अधिकारी के स्तर पर निर्णय किया जायेगा।
2. जिन ग्राम पंचायतों में पिछलें ही कुछ महिने पूर्व ही निविदा निर्णित की गई है तथा एग्रीमेन्ट में यह प्रावधान रखा गया है कि आपूर्ति की अवधि आपसी सहमति से आगे बढाई जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में आपूर्तिकर्त्ता वित्तीय वर्ष 2011–12 में भी आपूर्ति करने के लिये सहमत हो, उन प्रकरणों में संबंधित ग्राम पंचायत को आगामी निविदा कार्यवाही को निर्णित होने तक पुरानी दरों पर कय की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त शिथिलता के उपरान्त सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जिलों के सभी भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि में ही पूरा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव,ईजीएस.।
3. निजी सचिव,आयुक्त एवं शासन सचिव,पंचायती राज विभाग।
4. मुख्यालय पर स्थित समस्त अधिकारीगण।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त जिला परिषद।
6. अधिशाषी अभियन्ता,ईजीएस, समस्त,जिला परिषद।
7. परियोजना अधिकारी(लेखा)समस्त जिला परिषद।
8. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी,पंचायत समिति,समस्त राजस्थान को पालनार्थ एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी,ईजीएस